राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 35/2025

दायरा तिथि : 27-2-25

निर्णय :- 12-5-25

संतोष बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रिकॉर्ड दुरुस्ति

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी संतोष देवी पत्नी सीताराम उम्र 34 वर्ष जाति जाट निवासीनी ग्राम चाड़वास तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान ने उक्त धारा के तहत एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर में खेत खाता नम्बर नया 216, पुराना 210, खसरा संख्या 327 तादादी 2.4029 हेक्टेयर में वादीनी का नाम संतोष पत्नी सीताराम दर्ज है वह गलत है, जबकि वादीनी का सही नाम संतोष देवी पत्नी सीताराम है। अतः सही नाम संतोष पत्नी सीताराम की बजाए संतोष देवी पत्नी सीताराम किया जावे।

पैरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर वादीनी अपना नाम शुद्ध करवाये तो हमें आपत्ति नहीं है। वादीनी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में अपना जन आधार कार्ड, आधार कार्ड संख्या 463530901263, अपना परिवार राशन कार्ड, पेन कार्ड, पंजाब नेशनल बैंक शाखा चाड़वास के बैंक खाता की पास बुक आदि की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की जिन सभी में संतोष पत्नी सीताराम की बजाय संतोष देवी पत्नी सीताराम अंकित है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत जमाबन्दी ग्राम बैनाथा जोगलिया तहसील बीदासर में खेत खाता नम्बर नया 216, पुराना 210, खसरा संख्या 327 तादादी 2.4029 हेक्टेयर में अंकित खातेदार संतोष पत्नी सीताराम की बजाय संतोष देवी पत्नी सीताराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं, तहसीलदार बीदासर को प्रतिलिपि पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर (चूरू)